पार्ट-2

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद।</u>

प्रेस–विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा निर्गत भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम,2016 के सम्बन्ध में प्रमोटर्स, आर्कीटेक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के साथ हुई बैठक/कार्यशाला की कार्यवृत्त–

इस सम्बन्ध में प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई,जिसमें बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजीव अग्रवाल तथा श्री जैन, श्री डी0के0 अग्रवाल, श्री अनिल अग्रवाल, श्री हर्ष अग्रवाल, श्री शशांक गुप्ता, श्री अनुभव वर्मा आर्कीटेक्ट श्री मनीष गुप्ता, श्री जय कीर्ति सिंह इन्जीनियर एसोसिएशन से श्री जे0के0 सिंह, श्री मिथलश कुमार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री सुनील कुमार पत्रकार अमर उलाजा से श्री मुनेन्द्र बाजपेयी दैनिक जागरण से श्री राज कुमार आदि उपस्थित रहे।

परिचर्चा में अधिनियम के प्राविधानों पर चर्चा की गयी तथा आर्कीटेक्ट शब्द को परिभाषित कियागया। धारा–3 के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु अनिवार्यताओं पर चर्चा की गयी एवं नियमावली की धारा–2 एच–1 से 4 जिसमें on going परिभाषित किया गया है तथा रजिस्ट्रेशन में छूट का प्राविधान किये गये हैं पर चर्चा की गयी। सभी विकासकर्ताओं/प्रमोटर्स के साथ एन.बी.सी.–2016 के लागू होने के सम्बन्ध में चर्चा हुई तथा सभी को संज्ञानित किया गया कि वर्तमान में एन.बी.सी.–2016 के लागू हो गया है। एन.बी.सी.–2005 के प्राविधानों के स्थान पर अब एन.बी.सी.–2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत मानचित्र के स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। चर्चा कार्यक्रम में विकासकर्ताओं द्वारा कतिपय बिन्दु उठाये गये, जिस पर चर्चा की गयी तथा यह अपेक्षा की गयी कि अपने बिन्दु को लिखित रूप में प्राधिकरण में कल तक उपलब्ध करा दें,जिस पर नियमानुसार विचार कर मार्ग दर्शन आदि की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी–जन सम्पर्क

प्रतिलिपि–

1. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

..08.17

प्रभारी अधिकारी–जन सम्पर्क